राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार वर्ष 2016
कैम्प मियाला दि. 14.6.2016

निर्णय बईजलास लोक अदालत/कोर्ट कैम्प द्वारा श्री गोविन्दसिंह (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ कोर्ट कैम्प–मियाला

प्र0सं0 28/2015 प्रा0पत्र   निर्णय दिनांक :– 14.06.2016

अनवान

01. श्री हजारी सिंह पिता पन्ना सिंह जाति रावत निवासी ठिकरवास तहसील भीम

प्रार्थी

विरूद्ध

01. श्री देवी सिंह पिता वीरमसिंह निवासी रेल का वाडिया कहारी तहसील भीम
02. श्री रामसिंह पिता वरदसिंह रावत निवासी आसन मियाला, तहसील मियाला
03. श्री नारू लाल पिता पीथा जी रेगर निवासी आसन मियाला, तहसील मियाला

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आज दिनांक 14.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान/कोर्ट कैम्प मियाला में पेश हुआ पक्षकारान को जारी सूचना पत्र तामिल हो शामिल पत्रावली है। प्रार्थी हजारीसिंह एवं विपक्षी नारू लाल एवं रामसिंह उपस्थित। विपक्षी श्री देवीसिंह बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें। जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार है।

ग्राम आसन पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेदारी कब्जे की भूमि स्थित है जिसके आराजी नं0 1026 रकबा 0.15 आराजी नं0 1027 रकबा 1.04 कुल किता 2 रकबा 1.19 बीघा है। उक्त वर्णित आराजियात पर प्रार्थीया का वक्त खरीद निर्बाध रूप से काश्त वगैरह चला आ रहा है। किन्तु प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउन्ड्री/स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुऐ पडौसी है। जो हर समय फसल बुवाई कटाई सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है। मौके पर अशान्ति कायम रहती है, जिससे प्रार्थी उसकी भूमि का शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग नही कर पा रहा है, तथा मौके पर अशान्ति कायम रहती है। यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है। प्रार्थी को फसल की बुवाई कटाई के समय विपक्षीगण से जो सीमा सम्बन्धी विवाद होता है। वह हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थी शान्ति पूर्वक अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये तथा प्रकरण न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट कैम्प/लोक अदालत मियाला में रखा गया। प्रत्युत्तर में प्रार्थी हजारी सिंह एवं विपक्षी नारू लाल एवं राम सिंह उपस्थित हुऐ। विपक्षी श्री देवीसिंह बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। उपस्थित विपक्षीगणो ने प्रार्थी द्वारा उसकी भूमि की गढी करवाये जाने में कोई एतराज नही होना मौखिक रूप से निवेदन किया। ग्राम आसन पटवार क्षेत्र ना तहसील देवगढ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में प्रार्थी खातेदार है। खातेदार अपनी खाते की पत्थरगढी करवा सकता है।

अतः [redacted] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम आसन पटवार मियाला तहसील देवगढ में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नं0 1026 रकबा 0.15 आराजी नं0 रकबा 1.04 बीघा कुल किता रकबा 1.19 बीघा भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावें कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करवा रान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढी कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट कैम्प मियाला में आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ जिला–राजसमन्द